राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4001/2025

पूनम शुक्ला

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.08.2025
सुनवाई की दिनांक : 09.09.2025
आदेश की दिनांक : 09.09.2025
अपीलार्थी की ओर से : श्री वन्दना औदिच्या, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को प्रशासनिक कारणों एवं जनहित में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.01.2025 के माध्यम से उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित स्थान पर पदस्थापित/स्थानांतरित किया गया है, जिसके अंतर्गत निजी प्रत्यर्थी संख्या 7 अर्थात माया देवी, जो क्रम संख्या 179 पर एएनएम के पद पर सूचीबद्ध हैं, को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चूली सेक्टर सेवा, ब्लॉक गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर से ब्लॉक मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय, गंगापुर सिटी में रिक्त पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। (अनुलग्नक–1) ब्लॉक मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय, गंगापुर सिटी द्वारा आदेश संख्या 470 दिनांक 30.06.2025 के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिनेगा, गंगापुर सिटी पर तैनात अपीलार्थी को कार्यालय पुनः आदेश जारी किया गया था। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी ने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय, सवाईमोधोपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 04.02.2016, जो क्रम संख्या 40 पर अंकित है, के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चकछावा, सवाईमोधोपुर में प्रसाविका (दाई) के पद पर पदस्थ है। (अनुलग्नक–3) कार्यालय आदेश क्रमांक संस्थान/राजपत्रित/2019/1179 दिनांक 14.10.2019 द्वारा अपीलार्थी को ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी के कार्यालय में पदस्थापित/समायोजित किया गया तथा दिनांक 14.10.2019 को अपराह्न में कार्यमुक्त किया गया। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी को प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जारी आदेश 470 दिनांक 30.06.2025 के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिनेगा,

गंगापुर सिटी में स्थानांतरित/प्रतिनियुक्त किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी के कार्यालय द्वारा निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर, राजस्थान को दिनांक 15.01.2025 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक–01) के संदर्भ में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक पत्र प्रस्तुत किया गया था। श्माया देवी (एएनएम) अर्थात् प्रतिवादी संख्या 7 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चूली सेक्टर सेवा, गंगापुर सिटी से बीसीएमओ गंगापुर सिटी में स्थानांतरित/पदस्थापित किया गया है, जबकि दो प्रसाविका पद पहले ही भरे जा चुके हैं (रिक्त नहीं हैं) जिनमें 1. सुनीता जाट 2. पूनम शुक्ला अर्थात् अपीलार्थी शामिल हैं। (अनुलग्नक–5) प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 10.02.2025 के पत्र के संदर्भ में कोई और निर्देश/मार्गदर्शन नहीं दिया गया है, प्रतिवादी संख्या 5 ने पृष्ठांकन संख्या 17 दिनांक 21.01.2025 के माध्यम से चिकित्सा प्रभारी अधिकारी, बिनेगा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर द्वारा जारी प्रतिवादी संख्या 7 का स्थानांतरण कार्यभार ग्रहण पत्र स्वीकार कर लिया है। (अनुलग्नक–6) ब्लॉक मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय, गंगापुर सिटी द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 08.05.2025 जारी कर राज्य में वर्तमान भीषण गर्मी, सर्पदंश एवं मौसमी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को दिनांक 30.06.2025 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बिनेगा में तैनात किया गया है तथा दिनांक 08.05.2025 को दोपहर बाद कार्यमुक्त भी कर दिया गया है तथा संबंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। (अनुलग्नक–7)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 15.10.2025 (अनुलग्नक–1) और दिनांक 30.06.2025 (अनुलग्नक–2) के आलौच्य आदेश को अपीलार्थी के संबंध में उसके सभी प्राकृतिक परिणामों के साथ निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थी को ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी में बिना किसी बाधा के निरतंर कार्यरत रखा जावे। साथ ही अपीलार्थी को ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी से अपना वेतन प्राप्त करने की अनुमति दी जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष